प्रेस प्रकाशनी

वित्तीय क्षेत्र आकलन पर समिति

16 जुलाई 2007

वित्तीय क्षेत्र आकलन पर समिति के गठन से संबंधित 11 जनवरी 2007 की प्रेस प्रकाशनी : 2006-07/940 के अनुक्रम में यह निर्णय लिया गया है कि डॉ. डी. सुब्बाराव, वित्त सचिव, भारत सरकार को पूर्व वित्त सचिव और समिति के सह-अध्यक्ष श्री अशोक झा की सेवानिवृत्ति पर समिति का सह-अध्यक्ष नियुक्त किया जाए। तदनुसार, वित्तीय क्षेत्र आकलन पर पुनर्गठित समिति का स्वरूप निम्न प्रकार है :

डॉ. राकेश मोहन, उप गवर्नर भारतीय रिज़र्व बैंक	अध्यक्ष
डॉ. डी. सुब्बाराव वित्त सचिव भारत सरकार	सह-अध्यक्ष
श्री विनोद राय सचिव (वित्तीय क्षेत्र) भारत सरकार	सदस्य
डॉ. अरविंद विरमानी मुख्य आर्थिक परामर्शदाता भारत सरकार	सदस्य
श्री मधुसूदन प्रसाद संयुक्त सचिव (निधि बैंक) भारत सरकार	सदस्य

आपदाग्रस्त किसानों की सहायता के लिए उपाय सुझाने हेतु कार्य दल

24 जुलाई 2007

सांस्थिक वित्तीय क्षेत्र से कृषि/ग्रामीण क्षेत्र को बाधामुक्त ऋण उपलब्ध कराने की सुविधा प्रदान करने

के लिए केंद्र सरकार, भारतीय रिज़र्व बैंक और राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) द्वारा किए गए नीति उपायों के होते हुए भी, भारतीय कृषि कठिन दौर से गुजर रही है और भारतीय किसान अत्यधिक कष्ट का अनुभव कर रहे हैं। देश के विभिन्न भागों में किसानों द्वारा आत्महत्या में वृद्धि दृर्भाग्यपूर्ण स्थिति की सुस्पष्ट अभिव्यक्ति है। इन मामलों के समाधान के लिए रिज़र्व बैंक ने वर्ष 2006-07 के वार्षिक नीति वक्तव्य के पैराग्राफ 152 में घोषणा की थी कि आपदाग्रस्त किसानों की सहायता के लिए वित्तीय परामर्शी सेवाओं के प्रावधान तथा ऐसे किसानों के लिए निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम अधिनियम के अंतर्गत एक विशेष ऋण गारंटी योजना लागू किए जाने सहित उपाय सुझाए जाने हेतु एक कार्यदल का गठन किया जाएगा। तदनुसार, रिज़र्व बैंक ने श्री एस.एस. जोल, उपाध्यक्ष, पंजाब राज्य आयोजना बोर्ड, चंडीगढ़ की अध्यक्षता में एक कार्यदल का गठन किया।

इस कार्यदल ने बैठकों, बैंकरों, अन्य विशेष आमंत्रितों के साथ इंटरफेस, संकेंद्रित सामूहिक चर्चाओं और किसानों द्वारा सामना की जानेवाली समस्याओं के अध्ययन हेतु उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, केरल, आंध्र प्रदेश और पंजाब के कुछ जिलों के क्षेत्र संबंधी दौरों के संयोजन में विभिन्न स्रोतों से उपलब्ध आंकड़ों का उपयोग किया है। शुरुआत करते हुए इस समूह ने ''आपदा'' की परिभाषा प्रस्तुत की है तथा किसानों द्वारा सामना की जानेवाली आपदा के प्रणालीगत अथवा प्रकृति-विशिष्ट स्वभाव के आधार पर इस समूह ने विस्तृत अनुशंसाएं/उपाय सुझाए हैं जिन पर केंद्र और राज्य सरकारों, बीमा कंपनियों, बैंकों और भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा कार्रवाई किए जाने की आवश्यकता है। विभिन्न अनुशंसाओं में ऋण संबंधी और ऋणेतर दोनों मामले शामिल हैं। इस समूह ने आपदाग्रस्त किसानों के लिए निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम द्वारा लागू की जानेवाली एक ऋण गांरटी योजना भी प्रस्तावित की है।

परिचालनात्मक क्षमता के लिए क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक बोर्डों को अधिकार प्रदान किए जाने पर कार्यदल की रिपोर्ट

27 जुलाई 2007

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (आरआरबी) को सुदृढ़ता प्रदान करने तथा उन्हें अर्थक्षम ग्रामीण वित्तीय संस्था बनाने के लिए समय-समय पर विभिन्न उपाय किए गए हैं। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की परिचालनात्मक क्षमता बढ़ाने की दृष्टि से रिज़र्व बैंक ने उन क्षेत्रों पर चर्चा करने जहाँ क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के बोर्ड को और अधिक स्वायतत्ता दी जा सकती है तथा परिचालनात्मक क्षमता, विशेषकर निवेश, कारोबारी गतिविधि और श्रमशक्ति की अपेक्षा आदि से संबंधित मामलों के लिए क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के बोर्ड को अधिकार प्रदान करने हेतु उपाय सुझाए जाने के लिए सितंबर 2006 में डॉ. के.जी. कर्माकर, प्रबंध निदेशक, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) की अध्यक्षता में एक कार्यदल का गठन किया।

इस कार्यदल ने रिज़र्व बैंक को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है और इसकी अनुशंसाओं की जाँच की जा रही है/कार्यान्वयन किया जा रहा है।